न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– गुंजन सिंह आई.ए.एस.

प्र.सं. 17/2020

सीएमएस : 2020/00058

1. गुरदयाल सिंह पुत्र हरबंश सिंह जाति ब्राहमण सिख निवासी रामसिंहपुर तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर
2. प्रकाश कौर पत्नी अमरीक सिंह पुत्री हरबंश सिंह जाति ब्राहमण सिख निवासी मोकमवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

–: प्रार्थीगण

बनाम

1. हरबंश सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति ब्राहमण सिख निवासी 8 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. प्रदीप सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति ब्राहमण सिख निवासी 8 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. इन्द्रजीत कौर पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति ब्राहमण सिख निवासी 8 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–: अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री मोहनलाल बाना, वकील प्रार्थीगण
2. श्री गुरप्रताप सिंह, वकील अप्रार्थी सं. 1 से 3

–: निर्णय :–

दिनांक : 21.12.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी नं. 1 को अपने पिता बलवन्त सिंह का देहान्त हो जाने पर जरिये इन्तकाल सं. 98 अनुसार चक 15 एनपी के खाता सं. 128 प.नं. 164/332 मु.नं. 38 कि.नं. 13 से 19 में 1.581है. नहरी भूमि खातेदारी प्राप्त हुई, जो विरास्तन होने की वजह से जदी जायदाद हैं। प्रार्थीगण का जन्म से हिस्सा हैं, जो प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रार्थीगण प्रत्येक 1/8 हिस्सा बनता हैं। हरबंश सिंह के गुरदयाल सिंह, गुरदेव कौर, हरभजन कौर, प्रकाश कौर, राजेन्द्र सिंह, गुरदीप कौर जीवित हैं व गुरचरण सिंह मृतक कुल सात वारिस हैं, एक हिस्सा हरबंश सिंह का हैं। अप्रार्थी सं. 1 काफी वृद्ध हो गया हैं। जो अपने लडके राजेन्द्र सिंह के साथ रहा हैं। हरबंश सिंह को सूझ बूझ नहीं हैं। वह अपने आप किसी प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम भी नहीं हैं। राजेन्द्र सिंह ने अपने लडके व लडकी अप्रार्थी सं. 2–3 के पक्ष में अप्रार्थी सं. 1 से प्रार्थीगा को नुकसान पंहुचाने की नियत से दान पत्र सारी भूमि की उप पंजीयक मुकलावा से पंजीकृत करवा दी जिसका प्रार्थीगण के हितो पर कोई असर नहीं हैं। दान पत्र 18.02.2019 को करवाई परन्तु इन्तकाल अब करवाया है, जिसका ज्ञान होने पर दिनांक 28.02.2020 को पंचायत कर अप्रार्थीगण को समझाया कि विवादित भूमि में प्रार्थीगण [illegible] 1/8 हिस्सा बनता हैं जो रिकार्ड में दान पत्र केंसिल करवा दो तो अप्रार्थी [illegible] कि वे आज कल में ही आगे किसी प्रकार से किसी अन्य को [illegible] हमारे नाम से है आप क्या कर लोगे। अप्रार्थीगण [illegible] प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का स[illegible]न प्रार्थीगण के पक्ष में हैं प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित करने के लिए निवेदन किया कि विवादित भूमि चक 15 एनपी के खाता सं. 128 प.नं. 164/332 मु.नं. 38 कि.नं. 13 से 19 में 1.581है. नहरी भूमि को किसी प्रकार से किसी अन्य को हस्तातरण करने से बाज व ममनू रहे तथा विवादित भूमि को किसी प्रकार से किसी बैंक अथवा संस्था को रहन रख कर उप पर केसीसी व लोन आदि लने से वर्जित रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.21 16:23:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 3 जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज रकबा स्वअर्जित सम्पति की परिभाषा में आने से उसमे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार जन्म से नहीं बनते ना ही कोई हिस्सा प्राप्त करने के वे कानूनी अधिकारी हैं। अप्रार्थी सं. 1 मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होने से परी सूझ–बूझ रख निर्णय लेने की क्षमता रखता है, अप्रार्थी सं. 1 की सार संभाल, सेवा चाकरी व देखभाल उसका पुत्र प्रतिवादी सं. 2 राजेन्द्र सिंह व उसका परिवार ही करता आ रहा है, इसलिए प्रतिवादी सं. 1 ने अप्रार्थी सं. 2,3 को अपनी स्वर्जित भूमि दान कर उनके पक्ष में स्वेच्छापूर्वक स्वस्थ व स्थिरचित से दस्तावेज दान पत्र निष्पादित व पंजीकृत करवाये गये। जो विधिमान्य व प्रभावशील हैं। दिनांक 28.02.2020 को बमुकाम 15 एनपी में प्रार्थीगण ना तो इक्कठा हुवे ना ही अप्रार्थीगण से मिले। धमकी देने के तथ्य निराधार हैं। अप्रार्थी सं. 1 को एकल व स्वतंत्र रूप से हर प्रकार के हक हकूक व अधिकार हासिल थे और कब्जा में थी जिसे उसने अप्रार्थीगण सं. 2,3 को बरूवे पंजीकृत दान पत्र अंतरित कर कब्जा सुपुर्द किया। जिस पर वर्तमान में कब्जा साधिकार बतौर खातेदार अधिकार हासिल हैं। अप्रार्थी सं. 2,3 बेदखल होने अथवा हित व अधिकार प्रभावित होने की दशा में अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। रकबा पैतृत सम्पति न होकर स्वअर्जित सम्पति है। सुविधा का सन्तुलन व प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में हैं। विवादित भूमि के संबंध में इस वाद के विचाराधीन रहते सिविल न्यायालय में भी वाद पेश किया हैं। इस प्रकार समान विषयवस्तु, समान पक्षकार, समान अनुतोष के लिए एक समय में अलग–2 न्यायालय में अलग–2 प्रकरण कानून नहीं चल सकते। रेसज्यूरीकेटा सिद्धांत लागू होने से वाद काबिल निरस्ती के होने से प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया नाकाबिल चलने के हैं। प्रार्थीगण सद्भावी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण अपनी बहस में कथन किया हैं कि विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 को उनके पिता से प्राप्त होने के कारण हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति की परिभाषा में आती हैं। अप्रार्थी सं. 1 को दान पत्र करने का अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण दान पत्र शुरू से ही शून्य हैं। भूमि में प्रार्थीगण का जन्म से ही अधिकार निहित हैं। भूमि रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज हैं यदि भूमि किसी अन्य को हस्तांतरित अथवा रहन कर दी जाती हैं तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण पारित कर विवादित भूमि को रहन बैय नहीं करने बाबत पाबंध करने हेतु निवेदन किया। माननीय सिविल न्यायाधीश रायसिंहनगर द्वारा भी सिविल न्यायलय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा गुरदयाल सिंह आदि बनाम हरबंश सिंह आदि में दिनांक 08.12.2021 को निर्णय पारित कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण पारित की गयी हैं। वकील अप्रार्थीगण अपनी बहस में कथन किया हैं कि विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 की स्वअर्जित भूमि हैं। जिसको हस्तांतरण का अप्रार्थी को पूर्ण अधिकार था। दान पत्र विधि अनुसार हैं। प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा विवादित भूमि में नहीं हैं। एक वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन हैं, अतः एक ही प्रकृति के वाद भिन्न –2 न्यायलयों में नहीं चल सकते हैं। प्रार्थना पत्र काबिल खारिज हैं।

4. हमने बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। वर्तमान रिकार्ड अनुसार भूमि अप्रार्थी सं. 2, 3 के नाम से खातेदारी दर्ज हैं, जो कि इंतकाल सं. 387 स्वीकृत दिनांक 20.11.2019 के द्वारा जरिए दान हरबंश सिंह पुत्र बलवन्त सिंह से इन्द्रजीत कौर पुत्री राजेन्द्र सिंह व प्रदीप सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह के नाम से दर्ज हुई हैं। प्रार्थी [illegible] सं. 98 स्वीकृत दिनांक 20.12.2004 के द्वारा भूमि बलवन्त सिंह पु[illegible] से विरासतन हरबन्स सिंह पुत्र बलवन्त सिंह 1/2 हिस्स[illegible] भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति प्रतीत होती हैं। विवा[illegible] प्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित हैं या नहीं का विनिशिचत मूल [illegible] साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण पर किया जाना हैं। प्रस्तुत दस्तावेज चित्रप्रति [illegible]न्तरण के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। विवादित भूमि अप्रार्थीगण के नाम से रिकार्ड दर्ज हैं। यदि भूमि दौराने वाद के किसी अन्य को हस्तांतरित कर दी जाती हैं तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना संभावित हैं। सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.21 16:23:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

—: क्रियान्वयन आदेश :—

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत 212 राज0 काश्त0 अधि0 स्वीकार किया जाता हैं तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं कि चक 15 एनपी की जमाबंदी संवत 2073—2076 के खाता सं. 128 में दर्ज प.नं. 164/332 मु.नं. 38 कि.नं. 16/4, 17/1, 18/2, 19 की कुल 0.791हे. नहरी एवं खाता सं. 154 में दर्ज प.नं. 164/332 मु.नं. 38 कि.नं. 13/3, 14, 15, 16/3, 17/2, 18/1 की कुल 0.790है. नहरी भूमि को मूल वाद के निर्णय तक रहन, बैय या अन्य किसी तरीके से किसी अन्य को हस्तांतरण करने से वर्जित रहे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गुंजन सिंह)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.21 16:23:54 IST
Reason: SelfAttested